आज़ादी और न्याय का दार्शनिक बस्तियात

1801 में जन्मे फ्रांसीसी आर्थिक विचारक और दार्शनिक क्लाउडी फ्रेडरिक बस्तियात आर्थिक उदारवाद, आर्थिक समरसता और मुक्त बाज़ार व्यवस्था के प्रमुख प्रवर्तकों में से थे। जीवन, संपत्ति, आर्थिक संरक्षणवाद, राज्य व्यवस्था, कानून, पूँजी, मुक्त बाज़ार और व्यापार पर एक साथ उनके समस्त विचारों का उद्देश्य समाज़ को आर्थिक समरसता, न्याय और आज़ादी की ओर ले जाने वाला प्रतीत होता है।

इकॉनोमिक सोफिज्म्स नाम की अपनी लेख श्रृंखला के अंतर्गत लिखे गए 'कैंडल मेकर्स पीटीशन अथवा याचिका रोशनी करने वालों की' नामक व्यंग्य लेख में बस्तियात ने फ्रांसीसी सरकार के संरक्षणवादी व्यापारिक सोच पर तीखा प्रहार किया। उनके इस लेख में लाज़वाब कर देने वाले तर्क और व्यंग्य के बावज़ूद बौद्धिक आडंबर की बजाए एक विनम्रता और अपील की शैली देखने को मिलती है। 1845 में प्रकाशित इस प्रसिद्ध लेख में उन्होंने फ्रांस के जूली राजतंत्र के चैम्बर्स ऑफ डिप्यूटीज़ को संबोधित करते हुए एक याचिका लिखी। मोमबत्ती और रोशनी की अन्य सामग्रियाँ बनाने वाले व्यापारिक समुदायों की ओर से लिखी गई इस याचिका में बस्तियात ने लिखा कि यदि राज्य व्यवस्था अपने विदेश व्यापार में अनुचित प्रतियोगिता से इतनी ही चिंतित है तो उसे रोशनी पैदा करने वाले एक ताकतवर विदेशी 'सूर्य' (the sun) को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ताकि फ्रांस में रोशनी के व्यापारियों को राहत मिले और वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा कर आर्थिक विकास में योगदान कर सकें। सूर्य को प्रतिबंधित के अनूठे आर्थिक फायदों का हास्यास्पद तरीके से वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि सूर्य को प्रतिबंधित करने से टैलो यानि पशुओं की चर्बी की मांग बढ़ जाएगी जिससे मांस, ऊन, चमड़े और खाद का उत्पादन बढ़ जाएगा। यदि फ्रांस में तेल की खपत बढ़ जाएगी तो पॉपी, रैपसीड एवं जैतून जैस तिलहनों की पैदावार बढ़ जाएगी। इसी तरह व्हेल मछली का शिकार भी बढ़ जाता जिससे इन मछलियों का शिकार करने वाली जहाजों का विशाल व्यापारिक बेड़ा तैयार हो जाता जो फ्रांस की प्रतिष्ठा की रक्षा करता।

इस तरह की परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ वास्तव में हास्यास्पद थीं, लेकिन बस्तियात की दृष्टि में चैम्बर्स ऑफ डिप्यूटीज़ के सदस्य इसके प्रतिवाद में जो भी तर्क देते उसमें

कुछ भी मुक्त व्यापार के सिद्धांत से मेल खाने वाला न होता। यानि की सदस्यों का एकतरफा संरक्षणवादी रवैया उन्हें मुक्त व्यापार के फायदों को समझने की दृष्टि पैदा ही न होने देता। जाहिर है कि सदस्य सरकार की संरक्षणवादी नीतियों का औचित्य *उत्पादकों* के हितों की रक्षा, *उद्योगों* को प्रोत्साहन देने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के नाम पर साबित करते। लेकिन बस्तियात पूछते हैं कि इनमें से एक भी परिस्थिति बताएँ जो *उपभोक्ताओं* के हित में हो।

बस्तियात का यह व्यंग्य लेख अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था (International Political Economy) में राष्ट्रों द्वारा अपनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मौज़ूदा नीतियों को देखते हुए अत्यंत ही प्रासंगिक है। अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्थाएँ भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संरक्षणवादी हथकंडे अपनाती है। कृषि में सबसिडी, शुल्कीय एवं गैर-शुल्कीय अवरोधक (Tariff & Non-tariff Barriers) और स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध (Voluntary Export Restraints) जैसी व्यवस्थाएँ ऐसी ही संरक्षणवादी नीतियों का उदाहरण हैं। लेकिन बस्तियात की चेतावनियों को सही ठहराते हुए ऐसी नीतियाँ केवल कुछ बड़े फर्मों को ही तत्कालीन फायदा पहुँचाती है, उपभोक्ताओं को नहीं। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक में जब अमरीका ने जापान से ऑटोमोबाईल आयात पर प्रतिबंध लगाया तो भले ही कुछ अमरीकी ऑटोमोबाईल कंपनियों को इसका फायदा मिला हो, लेकिन कारें मँहगी हो गईं और उपभोक्ताओं ने प्रति कार 1000 डॉलर अधिक खर्च किए और इससे अमरीकी अर्थव्यवस्था को व्यापक परिप्रेक्ष्य में नुकसान ही हुआ।

संरक्षणवाद का एक और बुरा प्रभाव होता है कि सरकारें तुलनात्मक फायदे (Comparative Advantage) को ध्यान में न रखते हुए उन उत्पादों के विषय में भी संरक्षणवाद अपनाते हैं जो किसी ऐसे राष्ट्र से सस्ते दर पर आयात किया जा सकता है जहाँ वह प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में और कम श्रम पर उपलब्ध हो। बस्तियात ने ऐसी ही स्थिति को प्राकृतिक उपदान (Gratuitous gift) का नाम दिया है। जब सरकारें इस प्राकृतिक उपदान को ध्यान में नहीं रखकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं तो कई बार वह जहाँ व्यापक जनसमूह के फायदे को नकार रहे होते हैं, वहीं संरक्षणवाद के साये में घरेलू उत्पादक अपने उत्पादों की गुणवत्ता और तकनीक में वांछित सुधार नहीं करते। इससे उनमें कार्यकुशलता नहीं आ पाती और लंबे समय में वे

प्रतिस्पर्धा की दौड़ में टिक नहीं पाते।

चयन और प्रतिस्पर्धा का द्वंद्व किसी भी सरकार की व्यापारिक नीति में पाया जाता है। किंतु बस्तियात के मुताबिक संरक्षणवाद प्राकृतिक उपदान के सिद्धांत के प्रतिकूल है और यदि सरकारें इस मनोदशा से उबरकर उपभोक्ता को अधिक से अधिक फायदा पहुँचाने का नज़रिया अपनाएँ तो वे सहज ही उन उत्पादों में प्रतिस्पर्धा की अप्राकृतिक कोशिश नहीं करेंगे जो लंबे समय तक व्यावहारिक न हो। इसकी बजाए वे चयन की समस्या का समाधान उन उत्पादों में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी बनने में देखते हैं जिनमें उन्हें प्राकृतिक उपदान की दृष्टि से बढ़त हासिल है।